

पंजीकृत डाक द्वारा

**नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण**

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/2019/ IV - 1532 / 1157

दिनांक: 18-12-2019

सेवा में,

**M/s Contend Builders Pvt. Limited,  
301-A, World Trade Tower,  
Barahakhamba Lane, Connaught Place,  
New Delhi - 110001**

आपके आवेदन पत्र दिनांक 25.11.2019 के संदर्भ में प्रस्तावित स्पोर्ट सिटी भूखण्ड संख्या एस0सी0 - 01/बी - 1, सैक्टर - 150, नोएडा के भवन मानचित्र की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (मान्य निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव (प्रोजक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा (भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. पुनरीक्षित स्वीकृत ले-आउट प्लान की पत्रावली संख्या IV - 1369 स्वीकृति नोएडा/मु0वा0नि0/2016/876, दिनांक 04.03.2016 के सभी नियम/प्रतिबन्ध एवं शर्तें आदि यथावत पूर्णरूप से सबलीज धारक पर भी लागू होंगी तथा इस स्वीकृति का अभिन्न भाग रहेगा।
16. ब्रोशर, लीजडीड, सबलीज डीड, महायोजना, बिल्डिंग रेगुलेशन्स आदि के यथा संशोधित अध्यावधिक नियम, शर्तों, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेंगे।

- स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर, बिल्डिंग एवं परिसर, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निर्देशित मानकों के अनुसार विकसित करने तथा उससे अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त अधिभोग में लाया जायेगा।
28. ले-आउट प्लान के अनुरूप उसमें दर्शाये गये सभी प्रकार के भवन निर्माण किये जाने से पूर्व प्रत्येक भवन का उसके निर्धारित उपयोग के अनुसार नोएडा भवन विनियमावली-2010(यथा संशोधित सुसंगत प्रभावी प्राविधानों सहित)के अनुसार निर्धारित शुल्क व प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों तथा विस्तृत मानचित्रों के साथ पृथक से आवेदन कर पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
  29. ले-आउट प्लान के अनुसार सम्पूर्ण परिसर एवं उसके अन्तर्गत सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशनस तथा नोएडा भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में स्पोर्ट सिटी के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियायें एवं उपयोग तथा उसके सपोर्टिंग यूज में अनुमन्य क्रियायें एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
  30. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत समीक्षा की जायेगी जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जायेगी। इसमें सभी प्रकार के भवन निर्माण एवं विकास कार्य, भौतिक अवस्थापना सुविधायें, सामुदायिक एवं जन सुविधाओं आदि का तकनीकी, नियोजन, डिजाइन, स्पेशिफिकेशनस, आगणन, वित्तीय जीव्यता एवं अन्य पहलू, परियोजना कार्यों को पूर्ण करने का समयावधि चार्ट/ अनुरक्षण आदि का समावेश करते हुए प्राधिकरण को परीक्षण हेतु यथा निर्देशित प्रतियों में उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी स्वीकृति उपरान्त ही विकास एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
  31. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज डीड की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि एवं न्यूनतम निर्धारित वित्तीय परिव्यय के साथ परियोजना पूर्ण करनी होगी।
  32. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।
  33. स्पोर्ट सिटी के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैंड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/ मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी। उपरोक्त सम्बन्धित सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। अन्यथा मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
  34. स्पोर्ट सिटी के सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अधारिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
  35. इस स्वीकृति हेतु विभिन्न विभागों की आवश्यक समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं नोएडा प्राधिकरण से कब्जा प्रमाण पत्र एवं साइट प्लान तथा अदेयता प्रमाण पत्र तीस दिन के अन्दर प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
  36. स्पोर्ट सिटी के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन-सुविधायें, अवस्थापना सुविधायें, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण,

- परिचालन, रख-रखाव, अनुरक्षण आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
37. स्पोर्ट सिटी के सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/ सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज़, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आवंटन नियमावली, लीज़ डीड, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली-2010, नोएडा महायोजना-2031(यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण की पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा।
  38. भूखण्ड सं0-एस0सी0-01/ए एवं एस0सी0-01/बी के मध्य सम्पर्क हेतु अन्डरपास सड़क का निर्माण उच्च स्तरीय भारतीय सड़क निर्माण के मानकों के अनुरूप किया जायेगा।
  39. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधायें एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
  40. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधायें, जन संवायें एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्जज, टैक्स, लेवी आदि (यथा लागू)भी सम्मिलित है।
  41. गुणवत्तापूर्वक उच्चस्तरीय ढंग से परियोजना के क्रियान्वयन अवधि के समय तथा उसके उपरान्त अनुरक्षण, विशिष्ट खेल आयोजन अवसर पर विशेष व्यवस्था, संचालन, अनुरक्षण आदि के सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन, सक्षम न्यायालय आदि के अन्य नीतिगत निर्णयों/निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से आवेदक को करना होगा।
  42. यह स्वीकृति सदा सम्पूर्ण स्पोर्ट सिटी की परियोजना के एकीकृत भाग के रूप में ही मान्य होगी तथा स्वतंत्ररूप से किसी भवन परिसर के निर्माण की स्वीकृति का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। सभी सब-लीज के भूखण्डों के मध्य कोई विभाजित करने वाला निर्माण यथा - बाउण्ड्री बॉल आदि का निर्माण किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगा।
  43. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।
  44. स्थल पर निर्माण कार्य शुरु आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मात्र यथावश्यक विभिन्न विभागों से एवं पर्यावरण सम्बन्धित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं नोएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
  45. प्रस्तावित भवन निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा रेरा(Real Estate Regulation and Development Act) 2016 के अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
  46. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 21/2012 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा मूल प्रार्थना पत्र सं0 95/2014 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 में दिये गये निर्माण कार्य हेतु दिशा निर्देशों एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश - 2010 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे।
  47. संदर्भित प्रकरण में लेबर सेस की धनराशि मौके पर निर्माण कार्य पूर्ण करने से पूर्व सम्बन्धित लेबर विभाग जमा कराकर प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
  48. आवंटी एवं विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही करानी सुनिश्चित करें। सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें।

49. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्राविधान परिसर के अन्दर करना होगा ।
50. योजना के ले-आउट प्लान से सम्बन्धित सभी शर्तें उप पट्टाधारक को मान्य होगी एवं इसमें होने वाला कोई भी संशोधन उप पट्टाधारक मानने हेतु बाध्य होगा ।
51. स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंगन है । भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।

**सब लीज भूखण्ड एस0सी0 - 01/बी - 1, सैक्टर - 150 पर प्रस्तावित निर्माण हेतु विवरण**

● भूखण्ड का क्षेत्रफल	=	32,372.90 वर्ग मी0
● स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार अनुमन्य भू-आच्छादन		
आवासीय	=	8564.41 वर्ग मी0
फेसेलिटीज (आई0टी0 सेन्टर)	=	500.00 वर्ग मी0
<b>कुल</b>	=	<b>9064.41 वर्ग मी0</b>
● प्रस्तावित भू-आच्छादन -		
आवासीय	=	4401.222 वर्ग मी0
फेसेलिटीज(आई0टी0 सेन्टर)	=	410.940 वर्ग मी0
<b>कुल</b>	=	<b>4812.162 वर्ग मी0</b>
● स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार अनुमन्य एफ0ए0आर0		
आवासीय	=	84775.53 वर्ग मी0
आई0टी0 सेन्टर	=	2,000.00 वर्ग मी0
<b>कुल अनुमन्य एफ0ए0आर0</b>	=	<b>86,775.53 वर्ग मी0</b>
■ प्रस्तावित एफ0ए0आर0		
आवासीय व आई0टी0 सेन्टर	=	86,683.115 वर्ग मी0
● स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार कुल अनुमन्य सर्विसेज	=	<b>12,716.33 वर्ग मी0</b>
● प्रस्तावित सर्विसेज	=	<b>9328.509 वर्ग मी0</b>
<b>घनत्व (डेन्सिटी गणना)</b>		
● सब लीज भूखण्ड का क्षेत्रफल	=	32,372.90 वर्ग मी0
● स्वीकृत ले-आउट के अनुसार अनुमन्य ड्वेलिंग यूनिट्स	=	707 यूनिट
● अनुमन्य व्यक्तियों की संख्या = 707 X 4.5	=	3182 व्यक्ति
● कुल प्रस्तावित ड्वेलिंग यूनिट्स	=	540 यूनिट
● कुल प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या = 540X 4.5	=	2430 व्यक्ति
● प्रस्तावित सर्वेट यूनिट की संख्या	=	116 यूनिट
● कुल प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या = 116 X 2.5	=	261 व्यक्ति
● कुल व्यक्तियों की संख्या (2430+ 261)	=	2691 व्यक्ति

## पार्किंग का विवरण

- आवासीय (84775.53/80) = 1060 पार्किंग स्थल
- आईटीओ सेन्टर (2000/50) = 40 पार्किंग स्थल
- कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता(1060+40) = 1100 पार्किंग स्थल

## प्रस्तावित पार्किंग का विवरण

- अपर बेसमेंट में पार्किंग(22821.33/30) = 761 पार्किंग स्थल
- लोअर बेसमेंट में पार्किंग (6841.704/30) = 228 पार्किंग स्थल
- स्टिल्ट तल में पार्किंग (1698.236/30) = 56 पार्किंग स्थल
- खुले क्षेत्र में पार्किंग (1500.00/20) = 75 पार्किंग स्थल
- कुल प्रस्तावित पार्किंग स्थल (761+228+56+75) = 1120 पार्किंग स्थल

## हरित क्षेत्र का विवरण

- सब लीज भूखण्ड का क्षेत्रफल = 32,372.90 वर्ग मी0
- प्रस्तावित भू-आच्छादन = 4812.162 वर्ग मी0
- कुल खुला क्षेत्रफल (32,372.90 - 4812.162) = 27,560.738 वर्ग मी0
- हरित क्षेत्र की आवश्यकता (खुले क्षेत्र का 50%) = 13,780.369 वर्ग मी0
- प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल = 15,276.216 वर्ग मी0
- कुल पौधों की आवश्यकता  $27,560.738/100 = 275.60 = 276$  पौधे

आबंटी संस्था द्वारा मानचित्रों में कुल आवश्यक 276 पौधों के सापेक्ष में 280 पौधों की संख्या प्रस्तावित की गयी है, जिसमें से 50% पौधे लम्बी अवधी एवं घने छायादार दर्शाये गये है ।

## सैटबेक विवरण:-

सैटबेक	अनुमन्य (मी0)	प्रस्तावित (मी0)	
		तहखाना	भवन
अग्र	12.0	6.0	12.00
पृष्ठ	7.5	6.0	16.305
बाई साइड	7.5	7.196	17.50
दाई साइड	7.5	6.635	16.055

## तल - वार विवरण

तल	उपयोग	अनुमन्य एफ.ए.आर./ क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	प्रस्तावित एफ.ए.आर./ क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	नॉन एफ.ए.आर./ सेवा क्षेत्रफल (वर्ग मी0)
लोअर तहखाना	.....	.....	.....	561.00
अपर तहखाना	.....	.....	2709.230	867.284
स्टिल्ट/ भूतल	आवासीय	9064.41	2835.561	278.365
प्रथम तल	आवासीय		4078.273	290.415

द्वितीय तल	आवासीय		3239.398	249.356
तृतीय तल	आवासीय		3235.241	307.688
चतुर्थ तल	आवासीय		2985.510	231.406
पंचम तल	आवासीय		2985.696	275.138
छटवां तल	आवासीय		2976.947	231.406
सातवां तल	आवासीय		2967.311	275.138
आठवां तल	आवासीय		2971.468	231.406
नौवा तल	आवासीय		2980.217	275.138
दसवां तल	आवासीय		2990.989	231.406
ग्यारहवां तल	आवासीय		2972.790	275.138
बारवां तल	आवासीय		2971.468	231.406
तेरहवां तल	आवासीय		2967.311	275.138
चौदहवां तल	आवासीय		2985.510	231.406
पन्द्रहवां तल	आवासीय		2866.078	275.138
सोलहवां तल	आवासीय		2868.867	231.406
सत्रहवां तल	आवासीय		2859.159	275.138
अट्ठारहवां तल	आवासीय		2868.867	231.406
उन्नीसवां तल	आवासीय		2872.065	275.138
बीसवां तल	आवासीय		2882.909	231.406
इक्कीसवां तल	आवासीय		2859.159	275.138
बाइसवां तल	आवासीय		2868.867	231.406
तैईसवां तल	आवासीय		2859.159	275.138
चौबीसवां तल	आवासीय		2739.109	231.406
पचीसवां तल	आवासीय		2729.401	275.138
छबीसवां तल	आवासीय		1720.827	146.702
सताइसवां तल	आवासीय		1713.920	161.268
अठाइसवां तल	आवासीय		1720.827	146.702
उन्तीसवां तल	आवासीय		698.438	47.398
तीसवां तल	आवासीय		702.546	61.998
टैरिस-ममटी/मशीन रूम	....		---	615.064
गार्ड रूम	....		---	23.288
<b>कुल क्षेत्रफल</b>	...	<b>86,775.530</b>	<b>86,683.115</b>	<b>9328.509</b>


लोअर तहखाना	....		6944.468
अपर तहखाना			22922.143
रिट्टल तल			1698.236
कुल नॉन एफ०ए०आर०			31564.847
कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (एफ०ए०आर०, नॉन एफ०ए०आर० तहखाना एवं सेवा क्षेत्रफल सहित)	= 86,683.115 + 9328.509 + 31564.847 = 1,27,576.471 वर्ग मीटर		

स्पोर्ट सिटी/मनोरंजन का अवशेष एफ.ए.आर 5444.00 वर्ग मी० (जोकि अनुमन्य आवासीय एफ०ए०आर० 84775.53 वर्ग मी० का 13.61% है) का उपयोग आवासीय/ग्रुप हाउसिंग के उपयोग में सभी मनोरंजन/स्पोर्ट सिटी सुविधाओ के पूर्ण होने के बाद किया जा सकेगा।


प्राधिकरण द्वारा स्पोर्ट सिटी एस०सी० - 01, सैक्टर - 150, पर स्पोर्ट, इन्सटीट्यूशनल एवं अन्य सुविधाओ के विकास की स्थलीय स्थिति के परीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया है। संदर्भित भूखण्ड के भवन मानचित्र इस शर्त के साथ स्वीकृत किये जा रहे हैं कि समिति द्वारा मानचित्रों की स्वीकृति/अन्यथा जो भी निर्णय लिया जायेगा वह उप पट्टा धारक को यथावत मान्य होगा।

Map for proposed Building is per Bye  
Laws. Submitted for approval please.

 Asstt. Arch.

 Architect

प्रतिलिपि:-

भवदीय,  
  
नाम.....  
पद.....  
()  
महाप्रबन्धक-नियोजन  
नौएडा

1. विशेष कार्याधिकारी (वाणिज्यक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मैसर्स लॉजिक्स इन्फ्राडवलपर्स प्रा० लि०, ए - 04 व 05, सैक्टर - 16, नौएडा को सूचनार्थ।
3. वरि० प्रबन्धक(व०स० - 10) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।